न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चांदा बनाम सुखदेव वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 95/2026 (नसीराबाद)

प्रि.मा.0 5/3/26

	श्री सीताराम रावत	
04.03.2026	चांदा बनाम रवि वगैरह (2026/95) यह अपील श्री सीताराम रावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 198/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई, अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 05.03.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
05.03.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि दावाकृत भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिससे रेस्पोडेन्टगण बेदखल करने पर आमादा है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा खातेदार अपीलांट के विरूद्ध बिना सुनवाई के दिनांक 29.12.2025 को स्थगन आदेश पारित किया गया। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 4 अपीलांट को भूमि से बेदखल करने के आशय से मारपीट की गयी। जिससे स्थगन आदेश दिनांक 29.12.2025 की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते ग्राम देराठू में स्थित भूमि खाता संख्या 289/286 रकबा 5.18 हैक्टेयर भूमि पर विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2025 की क्रियान्विति कार्यवाही प्रभाव को अविलम्ब स्थगित किया जावें के आदेश पारित करने की कृपा करें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिस पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश अपीलांट/अप्रार्थी जवाब पेश होने तक जारी किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 10.02.2026 नियत की गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर विधिक रूप से उपचार प्राप्त कर सकते है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चांदा बनाम सुखदेव वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 95/2026 (नसीराबाद)

लगातार...

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय,अजमेर (राज.)

—00—

अपील संख्या ....95../2026 जिला अजमेर

—00—

चांदा पुत्र पन्ना आयु 80 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज.)

अपीलार्थी/अप्रार्थी

बनाम

1. रवि पुत्र सोहन
2. कपिल पुत्र सोहन
3. ईशिका पुत्री सोहन जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता माया पत्नि सोहन
4. सोहन पुत्र चांदा
5. हुक्मा पुत्री चांदा
6. शोकीन पुत्र चांदा
7. शेरा पुत्र चांदा
8. रामधन पुत्र चांदा
9. सुमित्रा पत्नि मोहन
10. ओम पुत्र मोहन
11. कन्नू पुत्र मोहन
12. पायल पुत्री मोहन कम संख्या 10 से 12 नाबालिग जरिये माता सुमित्रा समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज.)
13. उपपंजीयन अधिकारी, नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
14. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2025 उनवान रवि बनाम चांदा व अन्य प्रकरण संख्या 198/2025 के विरूद्ध बाबत</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner